निगरानी / एल.आर. / 2350 / 2005 / बून्दी

ओमप्रकाश बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-5-2018	**एकल-पीठ** **श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य** **उपस्थिति :** **श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी** **श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी** **निर्णय** यह निगरानी अन्तर्गत धारा-84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 5-3-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या-3/05 शीर्षक ओमप्रकाश बनाम सरकार को खारिज किया है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसीलदार बून्दी ने एक प्रकरण अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, शीर्षक सरकार बनाम ओमप्रकाश इस आशय का प्रारम्भ किया कि बून्दी के ग्राम डाबी के खसरा नम्बर-1002 रकबा 0.15 बीघा राजकीय भूमि पर अप्रार्थी / वर्तमान प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मकान व दुकान का निर्माण किया है। विद्वान तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 31-12-2003 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थी / वर्तमान प्रार्थी को बेदखल करने एवं शास्ति कायम करने का आदेश पारित किया। तहसीलदार बून्दी के निर्णय दिनांक 31-12-2003 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील संख्या-2/04 शीर्षक ओमप्रकाश बनाम सरकार, जिला कलेक्टर, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान जिला कलेक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 26-7-2004 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर वर्तमान प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील संख्या-3/05 शीर्षक ओमप्रकाश बनाम सरकार, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत की गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2005 के द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर वर्तमान प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश को यथावत रखते हुये शास्ति राशि में कुछ कमी कर दी। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी, बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया। इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि राजकीय भूमि पर वर्तमान प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मकान व दुकान का निर्माण करवाया गया है। धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अनाधिकृत काबिज व्यक्ति को बेदखल किये जाने का प्रावधान है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती रूप से निर्णय वर्तमान प्रार्थी के विरूद्ध पारित किये हैं। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य**	

निगरानी / एल.आर. / 2350 / 2005 / बून्दी

ओमप्रकाश बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए